



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-26/2017- 1383 दिनांक : 31.10.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल **रु0 216.884 लाख (दो करोड़ सोलह लाख अठासी हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-31/2017-21/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-31/2017- 58/आ0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 216.884 लाख (दो करोड़ सोलह लाख अठासी हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	133.637
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	83.247
कुल :-		216.884

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3 (क) से (ग)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।



272-

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-26/2017-1383 दिनांक- 31.10.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/जमशेदपुर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/चाईबासा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-26/2017-1383 दिनांक- 31.10.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	100.00	31.496	22.801	54.297
2	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	90.00	28.347	20.521	48.868
योग :-		190.00	59.843	43.322	103.165

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50.00	23.335	13.486	36.821
2	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	60.00	28.002	16.184	44.186
योग :-		110.00	51.337	29.670	81.007

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50.00	22.457	10.255	32.712
योग :-		50.00	22.457	10.255	32.712
सकल योग :-		350.00	133.637	83.247	216.884

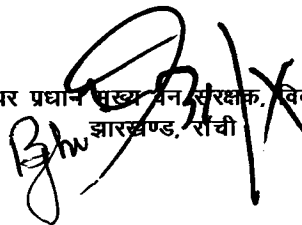
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	689.70	0.00	689.70	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1609.30		1609.30	
2.2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2299.00		2299.00	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	22	5057.80		5057.80	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	10345.50		10345.50	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2299.00		2299.00	
7	सामग्री (पॉलिथीन थेली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०	28.00	6437.20	9518.75	15955.95	
योग :-			137.00	31496.30	22801.49	54297.79	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची


वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

क्र०	प्रथम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A)	द्वितीय वर्ष 2017-18 में प्रथम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु० 229.90						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईएम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चैन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	3793.35	0.00	3793.35	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंदूर ट्रेंचिंग-120, कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	12644.50	0.00	12644.50	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	5747.50	0.00	5747.50	
9	गली प्लगिंग	हे०	10.00	2299.00	0.00	2299.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य		38.00	8736.20	12800.40	21536.60	
योग :-			203.00	46669.70	26973.14	73642.84	

अपर प्रभार मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 229.90						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1609.30		1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	55	12644.50	0.00	12644.50	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2299.00		2299.00	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	25	5747.50		5747.50	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	3375.00	3375.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०	57.00	13185.70	11181.45	24367.15	
योग :-			169.00	38934.50	26489.19	65423.69	

अपर पथाने मुख्य वन प्रसाक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वैत्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	कुण्डहित	कुण्डहित	कुण्डहित-1	खाटोजोरी	735, 5, 207, 477, 735, 736, 779, 1047, 470, 168	25	
					कुण्डहित-44	पुरुषोत्तमबाटी	2	7	
					कुण्डहित-34	कईबाद	901P	10	
			नाला	नाला	कास्ता-27	बोरोलिया	515P, 636P, 599, 600P	15	
			नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर-19	पहाड़पुर	154	15	
					दक्षिणबहाल-57	बगतरफा	453, 589, 590, 284, 356, 355, 339	28	
योग:-									100
2	पिश्चमी सिंहभूम	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	हाटगम्हरिया प्रक्षेत्र	हाटगम्हरिया	कोल्हान-426	बिचाबुरु पी०एफ०	1670, 1671, 1672, 1683, 1853	50	
			नोवामुण्डी प्रक्षेत्र	नोवामुण्डी	कोल्हान-734	कातीकोडा पी०एफ०	280, 276	40	
योग:-									90
सकल योग:-									190

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोग) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	नारायणपुर जामताड़ा	नारायणपुर जामताड़ा	दक्षिणीबहाल-44 भोरचण्डी-8	केन्दुआ जमुनियाबाद	1033, 4, 288, 1606, 1022, 1071 1, 407, 283	35 15
योग:-								50
2	पिश्चमी सिंहभूम	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	नोवामुण्डी प्रक्षेत्र नोवामुण्डी प्रक्षेत्र	हाटगम्हरिया हाटगम्हरिया	कोल्हान-413 कोल्हान-414	तिरिलपी पी०एफ० कोटाचेरा पी०एफ०	1, 1219 3	60
योग:-								60
सकल योग:-								110

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल/ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	नारायणपुर	नारायणपुर	दक्षिणबहाल-42	सकलपुर	1, 69, 248, 347, 378, 405, 584	16
			नाला	नाला	दक्षिणबहाल-33	बाबुडीह	87, 89, 92, 93, 184	12
					कास्ता-31	बागछेरा	1439, 12, 350, 46	15
					कास्ता-30	सरबेदिया	504, 1741, 1335, 1866	7
योग :-								50

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
विभाग, जामताड़ा, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/1383

दिनांक - 31-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71092	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	7,728,800.00 रुपये सित्तीस लाख अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	71093	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	5,634,900.00 रुपये छप्पन लाख चौतीस हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	71094	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	4,654,200.00 रुपये छयालीस लाख चौपन हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

18,017,900.00

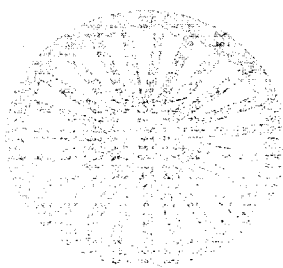
क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अस्सी लाख सत्रह हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY (N.F.S.)

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71096	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	3,670,500.00 रुपये छत्तीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ



योग: 3,670,500.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सोलह लाख अठ्यासी हजार चार सौ 21,688,400.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. P. O. CHAIBASA
RANCHI